(148)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1943-एक/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 04-09-2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 210/98-99/अपील.

---

1. जोगड़िया पिता सूरसिंह भील
2. विजिया पिता नवलीया भील

निवासीगण ग्राम बावड़ी,
तहसील व जिला झाबुआ .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. जग्गु पिता दोलिया नीनामा भील
2. शंकर पिता दोलिया नीनामा भील
3. बहादुर पिता माना भील

निवासीगण ग्राम बावड़ी
तहसील व जिला झाबुआ

4. म.प्र. शासन द्वारा अपर आयुक्त महोदय,
इंदौर संभाग इंदौर .....अनावेदकगण

श्री एच.एन. फड़के, अभिभाषक, आवेदकगण

-:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 04-09-2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बावड़ी स्थित भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 4.606 हैक्टेयर दोलिया, माना एवं रामसिंह पिता बदीय व बूची बैवा बदियां निनामा के नाम संयुक्त खाते में दर्ज थी। माना की मृत्यु होने पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रमाणीकरण

आदेश दिनांक 10.08.1986 के द्वारा माना के स्थान पर आवेदकगण का नाम नामांतरण करते हुए बंटवारा भी किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 04.08.1998 को 11 वर्ष से भी अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/97-98/अपील दर्ज कर दिनांक 07.07.1999 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 04.09.2000 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश एवं तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 1 पारित आदेश दिनांक 24.01.1986 निरस्त किये गये तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि अनुरूप आदेश पारित करें। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा 12 वर्ष पश्चात् विलंब से अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे समय बाह्य मानकर निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 3 बहादुर के समक्ष नामांतरण एवं बंटवारा स्वीकार किया गया है और पंजी पर उसके द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये हैं। ऐसी स्थिति में उसे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था। तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण एवं विभाजन के पश्चात् आवेदकगण का आधिपत्य विधिवत रूप से चला आ रहा था, इन सब तथ्यों की जानकारी अनावेदकगण को प्रारंभ से थी, इसके उपरांत भी उनके द्वारा विलंब से अपील प्रस्तुत की गई है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई थी। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण की अपील निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय सीमा के बिन्दु पर अपील निरस्त की गई है और उनके द्वारा गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को प्रकरण का निराकरण गुण दोष के आधार पर करने का अधिकार नहीं था। इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में अधिकार बाह्य आदेश पारित किया गया है। तर्क में यह भी कहा गया

कि अपर आयुक्त द्वारा जिन न्याय दृष्टांतों के आधार पर आदेश पारित किया है, उक्त न्याय दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों पक्षों की सहमति से नामांतरण एवं बंटवारा एक साथ किये जाने में कोई रोक नहीं है। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी पर पारित आदेश में अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 को सुनवाई का बिना अवसर दिये अधिकारिता रहित आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत अपील जानकारी दिनांक से समयावधि में मानकर गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त होता । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं अधिकारिता रहित हैं और ऐसे आदेश को किसी भी समय आक्षेपित किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में 1994 आर.एन. 302 मुन्ना विरूद्ध तुलसी तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

> ''परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा 5-परिसीमा का प्रश्न-आदेश अधिकारिता रहित-ऐसा आदेश किसी भी समय आक्षेपित किया जा सकता है-परिसीमा का वर्जन नहीं ।'

इसी प्रकार 1993 आर.एन. 183 किशनलाल तथा अन्य विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी म.प्र.तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

> ''परिसीमा-आरंभ होने का बिंदु-प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया-वाक्य ''आदेश की तारीख'' -अर्थ-''आदेश की जानकारी की तारीख'' के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।
>
> ''शब्द तथा वाक्य- वाक्य ''आदेश की तारीख''- अर्थ-प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया- वाक्य ''आदेश की तारीख'' का ''आदेश की जानकारी की तारीख'' के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।''

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं । अपर आयुक्त ने भी अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि अनुविभागीय अधिकारी को संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत आलोच्य आदेश की

सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने की छूट देते हुए जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में मानकर, प्रकरण का गुण-दोष के आधार पर निराकरण करना चाहिए था । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय को प्रकरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर देते हुए विधि अनुसार आदेश पारित करने के निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2000 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर